राजस्व प्रार्थना पत्र 44/2020
रामाकिशन वगैरह बनाम भंवरलाल वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

ठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 44/2020

र्थी –

1. रामाकिशन पुत्र शंकरलाल
2. ताराचन्द पुत्र शंकरलाल
3. धूलाराम पुत्र शंकरलाल
4. तुलछीराम पुत्र मोडूराम
5. मंगलाराम पुत्र मोडूराम
6. रतनलाल पुत्र पेमाराम
7. रामनिवास पुत्र पेमाराम
8. लिखमाराम पुत्र पेमाराम
9. बाबुलाल पुत्र पेमाराम

   समस्त जातियान–कुम्हार निवासीगण सांजू तहसील–डेगाना जिला–नागौर।

बनाम

प्रार्थी –

1. भंवरलाल पुत्र पूनाराम
2. पन्नालाल पुत्र भागुराम
3. रामचन्द पुत्र भागुराम

   जातियान–कुम्हार निवासीगण सांजू तहसील–डेगाना जिला–नागौर।

4. जगदीश पुत्र बैजनाथ
5. धनश्याम पुत्र बैजनाथ
6. कैलाशचन्द्र पुत्र बैजनाथ
7. जेठमल पुत्र बैजनाथ

   जातियान–ब्राहमण निवासीगण–सांजू तहसील–डेगाना जिला–नागौर।

8. पुखराज पुत्र बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी सांजू तहसील–डेगाना के कायम मुकाम
   - 8/1– संतोष बैवा पुखराज
   - 8/2– नथमल पुत्र पुखराज
   - 8/3– रीना पुत्री पुखराज
   - 8/4– जयश्री पुत्री पुखराज
9. सुशीला पत्नि प्रदीप जातियान–जाट, निवासी–कालवी तहसील जायल
10. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल

20/12/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी अप्रार्थी सं. 1 से 7 व 8/1 से 8/4 एवं 9 की ओर से
3. अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार जायल उपस्थित।

दिनांक : 29/12/2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 8 व अन्य की खातेदारी का एक खेत मौजा कालवी तहसील जायल में खसरा नं. 158 रकबा 54.05 बीघा आया हुआ था। जिसके विभाजन के लिए एक राजस्व वाद संख्या 247/2004 बअनवान शंकरलाल बनाम भंवरलाल वगैरह श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के समक्ष पेश किया जिस पर बाद सुनवाई के माफिक वाद डिक्री दिनांक 13.10.2004 को जारी की गई। जिसमें मौजा कालवी के खेत खसरा नं. 158 रकबा 54.05 बीघा में से पूर्वी 34.05 बीघा में से 9 बीघा उतरी पश्चिमी कोने की खातेदारी में भंवरलाल पुत्र परसाराम, 8 बीघा दक्षिणी पश्चिमी कोने पर की खातेदारी में तुलछीराम, मंगलाराम पि. मोडूराम व 8 बीघा दक्षिणी पूर्वी भाग कोने पर की खातेदारी में रतनलाल, रामनिवास, लिखमाराम, बाबुलाल पि. पेमाराम तथा 9.05 बीघा उतरी पूर्वी कोने की खातेदारी में भंवरलाल, रामचन्द, पन्नालाल पि. भागुराम को खातेदार घोषित किये जाने तथा तथा 20 बीघ्झा पश्चिमी भाग की खातेदारी में सत्यनारायण, जगदीश, घनश्याम, कैलाशचन्द्र, बाबुलाल, पुखराज, जेठमल पि. बैजनाथ, सुगनाई बैवा बैजनाथ को खातेदार घोषित किये जाने आदेश पारीत किये गये। परन्तु उक्त निर्णय तथा डिक्री का अमल दरामद जब पटवारी हल्का ने किया तो 34.05 बीघा पूर्वी हिस्से के स्थान पर पूरे 54.05 बीघा के पश्चिमी हिस्से में से 34.05 बीघा भूमि के सब हिस्सेदारो के हिस्से दर्ज कर नक्शा में तरमीम कर दिये तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 8 तथा उनके अन्य भाईयो तथा माता के नाम जो पश्चिमी हिस्सा 20 बीघा दर्ज कर तरमीम करना था, उसे पूरे खेत के पूर्वी हिस्सा में दर्ज कर तरमीम कर दियां जिससे सारी ही

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

तरमीम अस्त व्यस्त हो गई। इस गलत तरमीम के बाद भी खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार सही स्थान पर काश्त कर रहे है, नक्शे की तरफ ध्यान ही नही दिया।

इस अमल दरामद के बाद खतौनी में दर्ज शंकरलाल का देहान्त हो गया तथा उनका फौतगी नामान्तरण तथा हकतर्क का नामान्तकरण होकर उनके स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज हो गया है। इसके अलावा अप्रर्थीगण संख्या 4 से 8 तथा अन्य सहखातेदारो ने अपने बंट के पश्चिमी 20 बीधा हिस्से का विभाजन भी अपने मौके पर कब्जा के अनुसार करवा लिया तथा उसकी तरमीम भी गलत स्थान पर ही हो गई, तथा कुछ हिस्सेदारो ने अपना हिस्से का बैचान अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में कर दिया तथा रेकर्ड में उसका नाम भी दर्ज हो गया। इस प्रकार सम्पूर्ण खसरे के अब खसरा नं. 273/158 जो खाता संख्या 2/6 में प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम दर्ज है तथा अब प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गया। खसरा नं. 274/158 जो खाता संख्या 86 में प्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज है। खसरा नं. 275/158 जो खाता संख्या 181 में प्रार्थीगण संख्या 6 से 9 का नाम दर्ज है, खसरा नं. 276/158 जो खाता संख्या 148 में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम, खसरा नं. 158 जो खाता संख्या 70 में अप्रार्थी संख्या 4 के नाम, खसरा नं. 356/158 जो खाता संख्या 57 में अप्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज है, खसरा नं. 357/158 जो खाता संख्या 35 में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज है, खसरा नं. 359/158 जो खाता संख्या 77 में अप्रार्थी सख्या 7, खसरा नं. 358/158 जो खाता संख्या 120 में पुखराज नाम दर्ज है जो फौत हो चुका है तथा उनके उतराधिकारी कायम मुकाम 8/1 से 8/4 है तथा खसरा नं. 360/158 जो खाता संख्या 232 में अप्रार्थी संख्या 9 के नाम दर्ज है, खातेदार बन गये है जो कि सभी खसरा नम्बरान मौके अनुरूप नक्श में तरमीम नहीं होकर गलत रूप से तरमीम हो गये है। इस गलत इन्द्राज का पक्षकारान को अभी कुछ दिनों पहले नक्शे व नकल जमाबंदीयो की आवश्यकता पड़ने पर पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर पता चला।

उपरोक्त खसरा नं. 158 रका 54.05 बीघा का पूरा नक्शा ही पुनः मूल रूप में दर्ज करके निर्णय तथा डिक्री व मौके के अनुसार दर्ज किये जाने की इस्तदुआ वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में चाही गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 8/1 से 8/4 एवं अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी ने वकालातनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार जायल ने जरिये पत्रांक : भू.अ. /2020/3077 दिनांक 15.10.2020 के प्रार्थना पत्र क संबंध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 व 8/1 से 8/4 एवं अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व वाद संख्या 247/2004 अनुवान शंकरलाल बनाम भंवरलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2004 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं करके पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक ने दिशा भ्रम के कारण एक दूसरी पार्टी के हक हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम गलत दिशा में तथा विपरित दिशा में कर दी, जबकि मौके पर तत्समय के फैसले के अनुसार ही वर्तमान में मौके पर काबिज है। अतः उपरोक्त खसरा नं. 158 रकबा 54.05 बीघा का पूरा नक्शा ही पुनः मूल रूप में दर्ज करके निर्णय तथा डिक्री व मौके के अनुसार तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट नजरी नक्शानुसार पुनः नये सिरे से तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् तहरीर तहसीलदार जायल को जारी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने बहस में किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व वाद संख्या 247/2004 अनुवान शंकरलाल बनाम भंवरलाल में पारीत निर्णय/डिक्री आदेश दिनांक 13.10.2004, नकल जमाबंदीया सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 77, 120, 232, 35, 57, 70, 206, 86, 181, 148, मय नजरी नक्शा से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा राजस्व वाद संख्या 247/2004 में पारीत निर्णय आदेश के अनुसार मूल खसरा नं. 158 का हिस्सेवार बंटवारा कर दिये जाने पर पटवारी हल्का, भू.अ.

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

निरीक्षक ने दिशा भ्रम के कारण एक दूसरी पार्टी के हक हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम गलत तथा विपरित दिशा में कर दी जाना, जबकि तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान् मौके पर वर्तमान में सही दिशा में काबिज है। तत्समय न्यायालय आदेश दिनांक 13.10.2004 की पालना में पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक के दिशा भ्रम होने गलत दिशा में तरमीम कर दी जाने प्रतीत होता। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टयां स्वीकार किया जाकर ग्राम कालवी तहसील जायल के पुराने खसरे 158 के रकबे की तरमीम वर्तमान खसरा नम्बर तथा मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : :—

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि न्यायालय हाजा के निर्णित राजस्व वाद संख्या 247 / 2004 अनुवान शंकरलाल बनाम भंवरलाल में पारीत निर्णय / डिक्री आदेश दिनांक 13.10.2004 की पालना में ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 158 के बट्टा नम्बरों की दिशा भ्रम के कारण एक दूसरे पक्षकार के हक हिस्से की भूमि की गलत व विपरित दिशा में की गई तरमीम को वर्तमान मौके की स्थिति अनुसार (तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020) सही व शुद्ध किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29/12/2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

29/12/2020
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल